उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-5/2024/आडिट-2-आई/695967/10-4099/43/2021
लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में 05 मण्डलों यथा मिर्जापुर, बस्ती, अलीगढ़, चित्रकूटधाम व देवीपाटन तथा नवसृजित 12 जनपदों यथा औरैया, कन्नौज, बागपत, हापुड़, रामपुर, सम्भल, अमेठी, ललितपुर, शामली, पीलीभीत, संतकबीरनगर एवं कासगंज में विभागीय कार्यालयों में नये संवर्गीय अस्थाई पदों को दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए सृजित किये जाने की स्वीकृति कार्यालय जाप संख्या-18/2016-आडिट-2-363/दस-2016-350 (1)/2011, दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा निम्नवत् प्रदान की गयी थी:-

क्रमांक	पदनाम	नवसृजित पद	वेतनमान
1	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक	12	15600-39100, (वेतन बैण्ड-3) ग्रेड वेतन-5400
2	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	05	9300-34800, (वेतन बैण्ड-2) ग्रेड वेतन-4800
3	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05	9300-34800, (वेतन बैण्ड-2) ग्रेड वेतन-4200
4	प्रधान सहायक	05	9300-34800, (वेतन बैण्ड-2) ग्रेड वेतन-4200
5	लेखा परीक्षक	02	5200-20200 (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2800
6	आशुलिपिक	05	5200-20200, (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2800
7	वरिष्ठ सहायक	29	5200-20200, (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2800
8	कनिष्ठ सहायक	39	5200-20200, (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2000
9	वाहन चालक	05	5200-20200, (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2000
10	चपरासी	34	5200-20200, (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-1800
11	चौकीदार	17	5200-20200, (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-1800
12	जलवाहक/फर्राश	05	5200-20200, (वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-1800

उक्त के उपरान्त उक्त पदों की निरन्तरता की स्वीकृति शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 02 मई, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19 मार्च, 2018 द्वारा क्रमशः वर्ष 2017-18 में दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक एवं वर्ष 2018-19 में दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए प्रदान की गयी थी।

2- उक्त पदों की आवश्यकता अभी बनी हुई है। अतः वर्ष 2019-2020, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें, क्रमशः दिनांक 01 मार्च, 2019 से दिनांक 29 फरवरी, 2020, दिनांक 01 मार्च, 2020 से दिनांक 28 फरवरी, 2021, दिनांक 01 मार्च, 2021 से दिनांक 28 फरवरी, 2022, दिनांक 01 मार्च, 2022 से दिनांक 28 फरवरी, 2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 से दिनांक 29 फरवरी, 2024 एवं दिनांक 01 मार्च, 2024 से दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1270/67-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

4- उपर्युक्त इंगित पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मँहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के सुसंगत लेखाशीर्ष/मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस० पी० सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।